

विकलांग कल्याण विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने पर अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र

- 1- नाम सहित वर्तमान पता- (क) पति
(ख) पत्नी
- 2- विवाह के पूर्व पूरा पता- (क) पति
(ख) पत्नी
- 3- राष्ट्रीय, धर्म, जाति (क) पति
(ख) पत्नी

अभ्यर्थियों की
प्रमाणित फोटो

4- विवाह विवरण :-

- (1) विवाह के समय आयु (क) पति
(ख) पत्नी

(2) विवाह सम्पन्न होने का दिन

(3) विवाह का विस्तृत विवरण

(क) क्या विवाह पंजीकृत हुआ है? यदि हाँ तो उसकी संख्या तथा दिनांक एवं उस कार्यालय का नाम जहाँ विवाह पंजीकृत हुआ।

(ख) विवाह किस धार्मिक रीति से सम्पन्न हुआ है? इस संबंध में प्रमाण/साक्ष्य क्या है?

(ग) विवाह की वैधता को प्रमाणित करने के लिए अन्य कोई साक्ष्य, यदि हो।

(घ) उन दो जिम्मेदार व्यक्ति के नाम तथा पते जिनकी उपस्थिति में विवाह सम्पन्न हुआ-

(अ) नाम
पता

(ब) नाम
पता

- 5- व्यवसाय- (क) पति
(ख) पत्नी

6- पति के पिता का नाम- (क) उनका पता तथा व्यवसाय (यदि मृत्यु हो चुकी हो तो अन्तिम पता तथा व्यवसाय)

(ख) उनकी राष्ट्रीयता, धर्म, जाति तथा उपजाति।

7- पत्नी के पिता का नाम (क) उनका पता तथा व्यवसाय यदि मृत्यु हो चुकी हो तो अन्तिम पता तथा व्यवसाय

8- उत्तर प्रदेश में निवास का समय- (क) पति
(ख) पत्नी

हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक शपथ लेते हैं कि उपरोक्त तथ्य शुद्ध एवं ठीक हैं तथा हमने विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने पर शासन द्वारा दिये जाने वाले अनुदान/प्रोत्साहन नियमावली, 1997 को भली-भाँति देख लिया है तथा हम उसका पूर्णतया पालन करेंगे।

दिनांक-.....

पति का हस्ताक्षर

पत्नी के हस्ताक्षर.....

संलग्नकों का विवरण-

- (1) उम्र का प्रमाण पत्र पति एवं पत्नी ।
- (2) आय का प्रमाण पत्र ।
- (3) विवाह का प्रमाण पत्र ।
- (4) अधिवास का प्रमाण पत्र ।
- (5) जाँति प्रमाण-पत्र (यदि अनुसूचित/जन जाँति/पिछड़ा वर्ग का हो तो)
- (6) विकलांगता का प्रमाण पत्र ।
- (7) आवेदन पत्र पर अंकित प्रारूप के अनुसार करार विलेख रु0 5 के नॉन-जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर